उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 104/2023–24 दिनांक : 04.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रोशन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह,
कोपा बसता, गूलरभोज, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री रोशन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह की यह शिकायत दिनांक 20.07.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 के अन्तर्गत गूलरभोज, पंचायत घर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D105086409 (01 किलोवाट घरेलू) जो उनके परिसर पर लगा हुआ है, के आस–पास निर्धारित दूरी पर कोई भी विद्युत पोल नहीं लगा हुआ था जिस कारण काफी लम्बी दूरी से विभाग ने उसके कनेक्शन की केबिल डाली हुई हैं। केबिल काफी लम्बी होने की वजह से बीच में से टूट जाती है जिससे जान–माल की हानि का खतरा बना रहता है। इसकी शिकायत विभाग में भी की गयी, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर के पास निर्धारित दूरी पर 02 विद्युत पोलों को लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 04.09.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि ग्राम कोपा बसन्ता में लम्बी तारों के बीच में विद्युत पोल लगाकर

क्रमशः 2.....

परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

4/9/2023 — 4/9/2023

(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य

(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य